न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 46/2020

पवन कुमार सेनी मेहन्दीबाग शिव मन्दिर के पास टोंक जिला टोंक राज0

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टेर टोंक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 26—11—2020**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टेर टोंक को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी
1—पत्र कमांक 1322 दिनांक 7—2—2020 पर जारी पत्र में आज दिनांक तक की गई कार्यवाही की सत्यप्रतिलिपि देवें।
2—उक्त पत्र कमांक 1322 दिनांक 7—2—2020 पर की गई जॉच की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने बाबत।
3—पत्र कमांक 1322 दिनांक 7—2—2020 पर की गई जॉच एंव की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली प्रमाणित कर उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टेर टोंक से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टेर टोंक ने उनके पत्र कमांक 6253 दिनांक 26—11—2020 से प्रेषित किया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना पत्र कमांक 5571 दिनांक 8—10—2020 से भिजवाई जा चुकी है। न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जवाब की प्रति भिजवाई गई है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:03:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर (टोंक)

Scanned by CamScanner